न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र0 R-708-I-17 सन् 2017

पलुवा तनय हीरा अहिरवार
निवासी ग्राम –टुरया, तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0 ....आवेदक /निगरानीकर्ता

बनाम

मिइया अहिरवार तनय रमोला अहिरवार
निवासी ग्राम – पहरा, तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .... अनावेदक / गैरनिगरानीर्तागण

श्री दिवाकर दीक्षित, एडव्होकेट
द्वारा आज दि 21-2-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित (एड.)
ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी विरूद्व आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर के प्रकरण क्र0 22/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 से दुखी होकर पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत करता है :–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पहरा स्थित भूमि खसरा नंबर 1565 रकवा 0.174 हे0 , 1566 में से रकवा 0.705 हे0 कुल किता 02 एकत्र रकवा 0.879 हे0 जो बंदोवस्त के बाद वर्तमान खसरा नंबर 1565 को नया खसरा नंबर 250 प्रदान किया गया एवं खसरा नं0 1566 को नया खसरा नंबर 248 प्रदान किया गया है, उपरोक्त भूमि को निगरानीकर्ता ने काबिल काश्त बनाया है तथा बंजर पड़ी हुई भूमि का विकास किया है तथा कृषि कार्य में सिंचाई हेतु मौका पर कुऑ का निर्माण भी निगरानीकर्ता द्वारा ही किया गया है तथा बंदोवस्त काल से आज तक निगरानीकर्ता एवं उसके पिता उक्त भूमि पर

क्रमशः //2//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 708–एक / 17 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
27.3.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में अन्तिम निराकरण के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है। जबकि सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना चाहिये था। 2– आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दा0 रिकार्ड हो। सदस्य	